न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 125 /2011

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 हीरालाल आयु 60 वर्ष पुत्र संगतराम।
2 पृथ्वीसिंह आयु 42 वर्ष पुत्र बजरंगलाल समस्त जाति गुर्जर निवासी गुजरों की ढ़ाणी तन अडुका तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 नन्दलाल आयु 40 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी गुजरों की ढ़ाणी तन अडुका तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 राजेश आयु 34 वर्ष पुत्र शिवलाल जाति सैनी निवासी डालमियां की ढ़ाणी तन अडुका तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 महावीर प्रसाद आयु 55 वर्ष पुत्र बिहारीदास जाति स्वामी निवासी गुजरों की ढ़ाणी तन अडुका तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दलीप सिंह आयु 51 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह।
2 भगवान सिंह आयु 49 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह।
3 देवीसिंह आयु 56 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह।
4 मोहन सिंह आयु 53 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी अडुका तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.11
बमुकदमा उनवानी दपील सिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह
वगैरह दावा बाबत घोषणात्मक एवं खाता विभाजन
मु. नं. 305/2010 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–28.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 305/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 में भूमि खसरा नम्बर 93,94,105,345 वाके ग्राम अडूका के सन्दर्भ में दावा घोषणा व खाता विभाजन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट की और से धारा 5 व धारा 96 सी.पी.सी. व आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के साथ अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर 94,345 गत खसरा नम्बर 949 गोचर भूमि से बने हुये है रेस्पोडेंट ने सहखातेदारी की भूमि बताकर मिथ्या कथन कर वाद प्रस्तुत किया है गौचर भूमि होने से गांव वालों को अपील का अधिकार है अत धारा 96 व धारा 5 के आवेदन स्वीकार किये जावे। विवादित भूमि मिसल हकीयत में गैर मुमकिन जोहड़, संवत 2012 में गैर मुमकिन चारागाह, जोहड़, जमाबंदी 2016 में गैर मुमकिन जोहड़ अंकित है सिविल न्यायालय झुंझुनू द्वारा 12.07.1993 द्वारा एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 02.01.1984 को विचाराधीन भूमि के सम्बंध में गोचर भूमि की घोषणा की गई है एवं पशु चराने के लिए रूकावट न डालने का आदेश है हाईकोर्ट में इसकी अपील लम्बित है विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 2008 पेज 58 एवं 400, आर.आर. डी 1998 पेज 525 आर.आर.डी 1997 पेज 138 आर.आर.डी 2007 पेज 118 आर.एल. डब्ल्यू 2006 द्वितीय पेज 910 आर.जे, आर.एल.डब्ल्यू 2007 (1) आर.जे. पेज 423 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जिस आदेश के खिलाफ आये है उसके अनुसार मोहन सिंह के नाम खातेदारी आ गई पारिवारिक समझौते के अनुसार विभाजन कर लिया जागीर जाने के बाद जमीन मिली है सम्पूर्ण भूमि के बारे में किसी न्यायालय से अंतिम निर्णय नही हुआ है। जिस नामान्तकरण से जमीन आई है उसको चुनौती नही दी है जिन दावों का अपीलांट ने वर्णन किया है उससे मोहन सिंह का कोई लेनादेना नही है अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है दफा 96 की एपलीकेशन का कोई आधार नही है। अपीलांट किस आधार से आ रहे है। यह नही बताया है अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 2003 सुपरिम कोर्ट पेज 225 डब्ल्यू एल.एन 2014(4) पेज 313 2014 Raj Candid पेज 1545 ए.आई.आर. 1953 मद्रास पेज 485 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से एवं अपीलांट द्वारा दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से विवादित भूमि जागीर पुनग्रहण के उपरान्त खातेदारी में आना एवं रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर दावे को साबित करना एवं विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई वाद डिक्री किया जाना प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होता है।

जहां तक अपीलांट द्वारा धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ अपील पेश करने का प्रश्न है विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि नही रही है। अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि चारागाह गैर मुमकिन जोहड़ होने का कथन कर ग्रामवासी होने के आधार पर यह अपील लेकर आये है। चारागाह एवं जोहड़ भूमि का अधिकारी तहसीलदार होता है

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट ने तहसीलदार को पक्षकार बनाया है विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलांट का लोकस साबित नही होता है किन्तु न्यायाहित में प्रकरण विचारण न्यायालय को अपीलांटस की सुनवाई के लिए प्रति प्रेषित करना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2011 यथावत रखा जाता है एवं उस न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2011 खारिज की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को न्यायहित में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांटस अपना पक्ष रखे विचारण न्यायालय अपीलांटस के तथ्यों की जांच करे यदि अपीलांटस का हक अधिकार विचारण न्यायालय बनना पाये तो अपीलांटस को पृथक से विवादित भूमि के सन्दर्भ में हक अधिकार की उदघोषणा के लिए नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दे उस नये वाद में रेस जुडीकाटा का सिद्वान्त प्रभावी नही रहेगा। अपीलांटस विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/3/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर